



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 804]

नई दिल्ली, वीरवार, मार्च 1, 2018/फाल्गुन 10, 1939

No. 804]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 2018/PHALGUNA 10, 1939

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2018

का.आ. 908(अ).—केंद्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना का.आ. संख्यांक 1589(अ), तारीख 11 नवम्बर, 2005, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 11 नवम्बर, 2005, में प्रकाशित की गई थीं, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में शीर्षक “धारा 3 की उपधारा (5) के खंड (क) के अधीन नियुक्त अध्यक्ष” के अधीन प्रविष्ट “डॉ. आर. आर. हंचिनल” के स्थान पर “डॉ. कुंबले विनोद प्रभु” प्रविष्ट रखी जाएगी।

[फा. सं. 2-1 / 2016—एसडी.वी]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण :मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 11 नवम्बर, 2005, में का.आ. सं. 1589(अ), तारीख 11 नवम्बर, 2005, द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् का.आ. सं. 1883(अ), तारीख 1 नवम्बर, 2006, का.आ. सं. 1316(अ), तारीख 11 मई, 2009, का.आ. सं. 3064(अ), तारीख 30 नवम्बर, 2009, का.आ. सं. 195(अ), तारीख 31 जनवरी, 2011 और का.आ. सं. 2183(अ), तारीख 7 अक्टूबर, 2013 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)
NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2018

S.O. 908(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 3 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) number S.O. 1589(E), dated the 11th November, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-sections (ii), dated the 11th November, 2005, namely :—

In the said notification, under the heading “Chairperson appointed under clause (a) of Sub-section (5) of section 3”, for the entry “Dr. R.R. Hanchinal”, the entry “**Dr. Kumble Vinod Prabhu**” shall be substituted.

[F. No. 2-1/2016-SD.V]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 11th November, 2005, vide number S.O. 1589(E), dated the 11th November, 2005 and subsequently, amended vide number S.O. 1883(E) dated the 1st November, 2006, number S.O. 1316(E), dated the 11th May, 2009 number S.O. 3064(E), dated the 30th November, 2009 number S.O. 195(E), dated the 31st January, 2011 and number S.O. 2183, dated 7th October, 2013.